प्राथमिकता

संख्याः 1373/सैतीस–2–2022–5(53)/20181टीसी–1

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
पशुधन, उ0प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊः दिनांकः29जुलाई, 2022

विषयः–गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं भरण पोषण अनुदान से संबंधित शासनदेश दिनांक 11 फरवरी 2019 में निहित प्रकिया के सरलीकरण के संबंध में

महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं भरण पोषण के अनुदान के फण्ड प्लो के संबन्ध में वर्तमान में फील्ड में कतिपय ज्वलंत समस्याएं आ रही है जैसे कि ग्राम पंचायतों को जटिल प्रकिया के कारण समय से धनराशि प्राप्त न होना, ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण मय अभिलेखों/बिल बाउचर सहित विकास खण्ड में प्राप्त कराने उपरान्त उनके परीक्षण एवं संस्तुति में अप्रत्याशित बिलम्ब होना आदि। इन विलम्ब का सीधा प्रभाव निराश्रित गोवंश के संरक्षण पर पड़ना स्वाभाविक है। शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018 दिनॉक 2 जनवरी, 2019, शासनादेश संख्या 261/प0–2/सैंतीस दिनांक 28 जनवरी, 2019 एंव शासनादेश संख्या–313(1)/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018टी0सी0–1 दिनॉक 11 फरवरी, 2019 में वित्तीय प्रबन्धन से संबंधित उल्लिखित प्रक्रिया में कहीं यह वर्णित नहीं है कि पशुपालन विभाग द्वारा जनपदों को धनराशि तहसील, विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेगी एवं धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व प्रत्येक स्तर पर सत्यापन अनिवार्य होगा, परन्तु शब्दावलियों का जिलाधिकारियों के विश्लेषण से विभिन्न जनपदों में जटिल प्रक्रियाऍ अपनायी गई हैं।

2– शासनादेश संख्या–313(1)/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018टी0 सी0–1 दिनॉक 11 फरवरी, 2019 के प्रस्तर 2.4 (i) एवं (ii) में उल्लिखित है कि धनराशि सीधे गो–आश्रय स्थल संचालन/भरण–पोषण विषयक खाते में RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 7/2022–वी–1–287/दस–2022 दिनांक 05–04–2022 के कम में पशुधन विभाग के शासनादेश संख्या 1038/सैतीस–2–2022–5(53)/2018 टीसी–1 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों/मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबंधन SNA (सिंगल नोडल एजेन्सी) एवं PFMS (पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम) के माध्यम से किये जाने के संबंध में निम्नवत निर्देश दिये गये हैः–

(1) निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण पोषण तथा मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोंवश सहभागिता योजना के संचालन हेतु उ0प्र0 गोवंश संरक्षण के नाम से (SNA) का एकल खाता निदेशालय स्तर पर ICICI बैंक में खोला जाय।

(2) निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों का वित्तीय प्रबंधन पी0एम0एफ0एस0 के माध्यम से किये जाने के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0प्र0 को नोडल अधिकारी नामित किया गया

(3) प्रत्येक जनपद में ICICI बैंक में ZBA (जीरो बैंलेस एकाउण्ट) खोलकर PFMS के माध्यम से फण्ड ट्रांसफर की पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया जाय।

(4) जनपद स्तर पर उक्त खातों का संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकरी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाये।

3– गो–आश्रय स्थलों को निर्बाध क्रियाशील रखने के लिए यह आवश्यक है कि संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु गो–आश्रय स्थलों की आवश्यकता के सापेक्ष धनराशि सीधे गो–आश्रय स्थल संचालन/भरण–पोषण विषयक खाते में PFMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय। गो–आश्रय स्थलों की आवश्यकता व मॉग Dynamic होने के कारण जिले स्तर पर ZBA से गोआश्रय स्थलों/सुपुर्दगियों की धनराशि सीधे अंतरित की जाय तथा तद्संबन्धित व्ययों के मिलान/अभिलेखों, बिल बाउचर की जॉच की प्रक्रिया को समानान्तर (parallel) कराया जाय।

4– निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव से स्पष्ट है कि निराश्रित गोवंश के भरण– पोषण हेतु धनराशि के हस्तान्तरण की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में अधिक चरण होने के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है एवं सत्यापन प्रक्रिया जटिल है। इसे निवारित करने हेतु जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी को दैनंदिन दायित्व दिया जाना व्यवहारिक है। इसी प्रकार गो–आश्रय स्थलों का सत्यापन प्रतिदिन किया जाना अथवा विभिन्न स्तरों पर किया जाना अव्यवहारिक है। समायोजित धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु मॉग प्रेषण के लिए सक्षम अधिकारी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ताकि प्रकिया को मानकीकृत (Standardize) किया जा सके एवं धनराशि का त्वरित हस्तानान्तरण हो सकें।

5– शासन में उच्चस्तरीय बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि फण्ड फलो के Multiple चरणों को कम किया जाय तथा जिलाधिकारी के स्तर से रोस्टर बनाकर त्रैमासिक/यथावश्यकता सत्यापन कराया जाय।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में गो–आश्रय स्थलों के संचालन एवं भरण–पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग की प्रकिया विषयक शासनादेश सं0–313(1)/सैतीस–2– 2018–5 (53)/2018टी0 सी0–1 दिनांक 11.02.2019 में निहित प्रकिया को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर 2.2 (1) चिन्हित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण/स्थापना तथा संचालन का कार्य किया जिस स्तत पर किया जा रहा है, वहां पर एक पृथक खाता आश्रय स्थल/स्थलों पर पशुओं के नैत्यिक भरण–पोषण/संचालन हेतु खोला जायेगा (यथा ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत स्तर, नगर पालिका स्तर पर तथा नगर निगम स्तर	प्रस्तर 2.2 (1) चिन्हित अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण/स्थापना तथा संचालन का कार्य किया जा रहा है, वहां पर एक पृथक खाता आश्रय स्थल/स्थलों पर पशुओं के नैत्यिक भरण–पोषण/संचालन हेतु खोला जायेगा (यथा ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत/नगर पालिका /नगर निगम स्तर पर)। यह खाता ग्रामीण एवं शहरी निकायों में संचालित नियमित खातों से पृथक

पर)। यह खाता ग्रामीण एवं शहरी निकायों में संचालित नियमित खातों से पृथक खाता होगा । इन खातों में यथा मांग के अनुसार जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा धनराशि का अंतरण किया जायेगा।	होगा जिसमें मांग के अनुसार PFMS के माध्यम से धनराशि का अंतरण किया जायेगा ।
प्रस्तर 2.2(ii) इस खाते का संचालन जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी/तहसीलदार एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशुचिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा ।	2.2(ii) इस खाते का संचालन जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
प्रस्तर 2.3(ii) प्रत्येक केंद्र पर संरक्षित गोवंश के विवरण हेतु एक पंजीका बनाई जाये, जिसमें प्रतिदिन तथा क्रमिक संरक्षित पशुओं की संख्या का विवरण (प्रजाति, आयु व लिंग आदि) रखा जाये तथा इससे सम्बंधित सुसंगत स्तर पर उपलब्ध/तैनात विभिन्न विभागों (यथा पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, पशुपालन विभाग, पुलिस विभाग आदि जैसा जिलाधिकारी द्वारा विहित किया जाये) के कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन भौतिक सत्यापन कराया जाये। यथासंभव प्रतिदिन भौतिक सत्यापन/पशुओं की संख्या विषयक साक्ष्य (फोटो, विडियो, टैगिंग आदि) भी रखा जाये।	प्रस्तर 2.3 (ii) प्रत्येक केंद्र पर संरक्षित गोवंश के विवरण हेतु एक पंजिका बनाई जाये, जिसमें प्रतिदिन तथा क्रमिक संरक्षित पशुओं की संख्या का विवरण (प्रजाति, आयु व लिंग आदि) रखा जाये तथा इससे सम्बंधित सुसंगत स्तर पर उपलब्ध/तैनात विभिन्न विभागों के कार्मिकों (जैसा जिलाधिकारी द्वारा विहित किया जाये) द्वारा त्रैमासिक रोस्टर प्रणाली के आधार पर एवं असामान्य परिस्थिति में यथावश्यकता अतिरिक्त भौतिक सत्यापन (पशुओं की संख्या आदि विषयक) कराया जाये। साक्ष्य विषयक फोटो, विडियो, टैगिंग आदि भी रखा जाये ।
प्रस्तर 2.4(iii) यह प्रथम बार की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी, जिसका समायोजन 30 दिन (01 माह/ अगले माह) के पश्चात् अधिकतम 01 सप्ताह में किया जायेगा। इस समायोजित धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु मांग सक्षम प्राधिकारी/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रतिपूर्ति हेतु मांग के साथ सत्यापन विषयक फोटो/वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03 दिवस के अन्दर मांग की गयी	प्रस्तर 2.4(iii) यह प्रथम बार की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी, जिसका समायोजन 30 दिन (01 माह/अगले माह) के पश्चात् अधिकतम 01 सप्ताह में किया जायेगा। इस समायोजित धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु मांग मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रतिपूर्ति हेतु मांग के साथ सत्यापन विषयक फोटो/ वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 03 दिवस के अन्दर मांग की

धनराशि का अंतरण सम्बंधित सुसंगत स्तर के खातों में त्ज्ळै के माध्यम से किया जायेगा।	गयी धनराशि का अंतरण सम्बंधित सुसंगत स्तर के खातों में जिले स्तर पर खोले गये जीरो बैलन्स एकाउण्ट से च्ध्डै के माध्यम से किया जायेगा ।
प्रस्तर 2.4(v) यदि पशुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है तो गोशाला से सम्बंधित संचालन समिति गत माह के समायोजन के साथ नयी मांग सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। सक्षम प्राधिकारी अपने स्तर से इस अप्रत्याशित नयी मांग का सत्यापन कराते हुए 03 दिवस के अन्दर धनराशि का अंतरण सुनिश्चित करायेंगें।	प्रस्तर 2.4(v) यदि पशुओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है तो गोशाला से सम्बंधित संचालन समिति गत माह के समायोजन के साथ नयी मांग मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। मुख्य विकास अधिकारी अपने स्तर से इस अप्रत्याशित नयी मांग का सत्यापन कराते हुए 03 दिवस के अन्दर धनराशि का अंतरण सुनिश्चित करायेंगें।
प्रस्तर 2.6 (शीर्षक) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा संचालन/भरण–पोषण हेतु दी गयी धनराशि विषयक भूमिका	प्रस्तर 2.6 (शीर्षक) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा संचालन एवं भरण–पोषण हेतु औचक निरीक्षण विषयक भूमिका
प्रस्तर 3 उपरोक्त भरण–पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए तत्काल उपयोग की गयी धनराशि की प्रगति से शासन को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।	उपरोक्त भरण–पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपयोग की गयी धनराशि की प्रगति (उपयोगिता प्रमाण पत्र) एवं अग्रेतर मांग से निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग को नियमित रूप से अवगत करायें।

शासनादेश दिनांक 11.02.2019 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6– उपर्युक्त संशोधन के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर की जाए :–

(1) गो–आश्रय स्थलों के भरण–पोषण/संचालन हेतु नियमित खातों से पृथक ZBA खाता खोलकर मांग के अनुसार PFMS के माध्यम से धनराशि का अंतरण किया जाए

(2) जिले स्तर पर उक्त खाते का संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाए

(3) गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित पशुओं की संख्या आदि का जिलाधिकारी द्वारा त्रैमासिक रोस्टर प्रणाली के आधार पर एवं असामान्य परिस्थिति में यथावश्यकता अतिरिक्त भौतिक सत्यापन कराया जाए

(4) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के सहयोग से 03 दिवस के अन्दर आश्रय स्थलों द्वारा मांग की गयी धनराशि का अंतरण जिले स्तर पर खोले गये जीरो बैलेन्स एकाउन्ट (ZBA) से PFMS के माध्यम से किया जाए

(5) जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपयोग की गयी धनराशि की प्रगति (उपयोगिता प्रमाण–पत्र) एवं अग्रेतर मांग से निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को नियमित रूप से अवगत कराया जाए

(6) तहसील/क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति द्वारा संचालन एवं भरण–पोषण हेतु औचक निरीक्षण किया जाए तथा इस निरीक्षण की प्रत्याशा में आश्रय स्थलों को धनराशि का हस्तान्तरण न रोका जाए। जिलाधिकारी के स्तर से कराये जा रहे त्रैमासिक रोस्टर के अनुसार 01 माह में लगभग एक तिहाई गो–आश्रय स्थलों की सत्यापन आख्या उपलब्ध होगी, जिसके आधार पर इन 1/3 आश्रय स्थलों को धनराशि अवमुक्त की जाएगी। शेष 2/3 आश्रय स्थलों की धनराशि आश्रय स्थलों के प्रभारी के स्वसत्यापन के आधार पर अवमुक्त की जाएगी। यदि कालान्तर में कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो नियमानुसार वसूली आदि की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7– इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः1373(1)/सैतीस–2–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
8. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, उ0प्र0लखनऊ
12. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
13. निदेशक, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0लखनऊ।
14. सचिव, गो सेवा आयोग, उ0प्र0लखनऊ
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव